सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 190/17 **निर्णय दिनांकः–**

1. समीउल्ला पुत्र ईस्माईल खॉ जाति मुसलमान निवासी चक 3 जीएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. रेवन्तसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी लालावाली तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 03–05–2017
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितः–
1. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 03–05–2017 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को स्मालपेच में आवंटित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटान चक 3 जी.एम. के मुरब्बा नम्बर 73/11 के किला नम्बर 1 में 1 बीघा रकबा को स्माल पेच आवंटन हेतु दिनांक 08–01–2017 को आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के समक्ष आवेदन किया गया था तथा उक्त रकबे की प्राथमिकता वरियता केवल और केवल अपीलांट की ही बनती है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवेदन पर गौर किये बिना अपीलांट के आवेदन को नजरअंदाज करते हुए रेस्पोडेन्ट को उक्त रकाब गैर कानूनी रूप से स्मालपेच में आवंटन किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर के आवंटन से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ना ही कोई नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। जबकि स्मालपेच में प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है। स्मालपेच आवंटन नियमों के अनुसार किसी भी आवंटन से पूर्व सभी चिपते काश्तकारों को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अदालत मातहत की तमाम कार्यवाही सुनियोजित तरीके से आराजी जैर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने की नियत से की गई है। अदालत मातहत द्वारा बिना रिकार्ड व उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों का अवलोकन किये मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को लाभ पहुॅचाने की की गरज से सरासर एकतरफा तौर समस्त कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलांटा की वरियता रेस्पोडेन्ट के बराबर बनती है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरसी 2001 पेज 99 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने सर्वप्रथम प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उक्त उनवानी अपील में अपीलांट द्वारा मूल आदेश की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है एवं जो नकल पेश की है वह अधूरी है। अपील के साथ प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना मैण्डेटरी है। इसके अभाव में अपील इसी स्तर पर राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल पार्ट ाा नियम 30 के तहत खारिज योग्य है। अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार ही नहीं था। इसलिए अपीलांट द्वारा न्यायालय से परमिशन की धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अभाव में अपील इसी स्टेज पर खारिज योग्य है। उन्होंने प्रार्थना पत्र पर आगे बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर पेश की है। अपीलांट को अपील की पूर्व में ही जानकारी थी। अपीलांट द्वारा जानकारी के बावजूद अपील अपील मियांद बाहर पेश की है। अतः अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट को वादगत् आराजी चक 3 जी.एम. के मुरब्बा नम्बर 73/11 के किला नम्बर 1 में 1 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट को प्रथम वरियता

प्रदान की गई है। आराजी जैर के आवंटन हेतु अन्य किसी का प्रार्थना पत्र तत्समय लम्बित नहीं था। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र होने पर अदालत मातहत द्वारा वरियता के आधार पर अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का आवंटन किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् समस्त राशि जमा करवाई जा चुकी है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जावे।

प्रतिउत्तर बहस में अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील के साथ कार्यालय टिप्पणी यथा फर्द अहकाम की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई। जो कि पत्रावली में मूल आदेश है। उक्त आदेश की पालना में ही अदालत मातहत द्वारा आवंटन आदेश जारी किया गया है। जहॉ तक धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का प्रश्न है, अपीलांट के प्रार्थना पत्र के बावजूद अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अथवा कोई नोटिस दिये बिना आराजी जैर के आवंटन का आदेश पारित किया है। चूंकि अपीलांट वादगत् आराजी में आवंटन का हितबद्व पक्षकार था व है। ऐसी स्थिति में धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना के प्रावधान प्रकरण में लागू नहीं होते है। अतः रेस्पोडेन्ट की प्राथमिक आपत्ति खारिज की जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. **(अ)** जहॉ तक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति का प्रश्न है। रेस्पोडेन्ट का यह कथन कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की नकल प्रस्तुत नहीं की गई। पोषणीय नहीं है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ कार्यालय टिप्पणी यथा फर्द फर्द अहकाम की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई। उक्त आदेश की पालना में ही अदालत मातहत द्वारा आवंटन आदेश जारी किया गया है। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट का कथन कि अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अभाव मे अपील इसी स्टेज पर खारिज की योग्य है। इस संबंध में हम अभिभाषक अपीलां क कथन से सहमत है कि जब अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट प्रस्तुत थी जिसमें रेस्पोडेन्ट के साथ–साथ अन्य काश्तकारों को भी वरियता प्रदान की गई थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अन्य काश्तकारों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट का प्राथमिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(ब) हस्तगत् प्रकरण में विवादित आराजी चक 3 जी.एम. के मुरब्बा नम्बर 73/11 के किला नम्बर 1 मे 1 बीघा भूमि का स्मालपेच में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन को आवंटित की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत तहसीलदार के रिपोर्ट के अनुसार **रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अलावा भंवरकंवर पुत्र भैरूसिंह रानी पत्नी जान मोहम्मद, नेताराम पुत्र रामूराम व समीउल्ला पुत्र हाजी ईस्माईल आदि की वरियता कायम की गई है।**

(ब) प्रकरण में जब अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के अतिरिक्त अन्य की भी वरियता कायम की गई है तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को आराजी जैर के आवंटन से पूर्व तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार अन्य वरियताधारकों को नोटिस दिया जाना अपरिहार्य था। पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शें के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादगत् आराजी मुरब्बा नम्बर 73/11 में स्थिति है। जिस पर रेस्पोडेन्ट के साथ–साथ अपीलांट की भी समान वरियता बनती हैं ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर के आवंटन से पूर्व अपीलांट को नोटिस अथवा सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया जाना आवंटन नियमों के विपरीत होना प्रतीत होता है।

(स) अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर चिपते काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किया गया है, जो राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 (1) के विपरीत होने से काबिल खारिज है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर बिन्दू सिंह 7 के अ, ब व स के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03–05–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादगत् आराजी के आवंटन से पूर्व समस्त चिपते काश्तकारों को नोटिस व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आवंटन नियमों के तहत पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर